प्रेस विज्ञप्ति **5 अक्तूबर 2007**

100 000 करोड़ खर्च, लेकिन कोई अतिरिक्त लाभ नहीं
पिछले 12 सालों में नहर आधारित सिंचाई क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं

सन 1991–92 से 2003–04 तक (अंतिम वर्ष जिसके लिए आंकड़ें उपलब्ध हैं) के 12 सालों में, वास्तविक जमीनी आंकड़ों पर आधारित केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार नहरों से शुद्ध सिंचित इलाकों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अप्रैल 1991 से मार्च 2004 तक की अवधि में, देश ने नहर आधारित सिंचित इलाकों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में रुपये 99610 करोड़ व्यय किये हैं। स्वयं सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इस पूरे व्यय से पिछले 12 सालों में देश के बड़े बांधों की नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित इलाके में एक भी एकड़ की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह बहुत गंभीर चिंता का कारण होना चाहिए एवं जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग एवं राज्यों को कुछ कठिन सवालों का जवाब देना होगा।

अगस्त 1986 में राज्य के सिंचाई मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था, ''शायद, हम विश्वास से कह सकते हैं कि इन परियोजनाओं से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। सोलह सालों से हमने धन गंवाया है। सिचांई नहीं, पानी नहीं, पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं, लोगों के दैनिक जीवन में कोई मदद नही, इस तरह उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।'' इस उद्धरण को आज उपयोग करना हो तो उसमें सिर्फ एक बदलाव की आवश्यकता होगी : शायद शब्द को हटा देना पड़ेगा।

सन 1991–92 में पूरे देश में नहर द्वारा शुद्ध सिंचित इलाका 177.9 लाख हेक्टेयर था। उसके बाद 2003–04 तक, नवीनतम वर्ष जिसके लिए आंकड़े मौजूद हैं, के सभी सालों में नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित इलाका न सिर्फ 177.9 लाख हेक्टेयर से कम रहा बल्कि वह लगातार कम हो रहा है, जिसे निम्न ग्राफ से देखा जा सकता है।

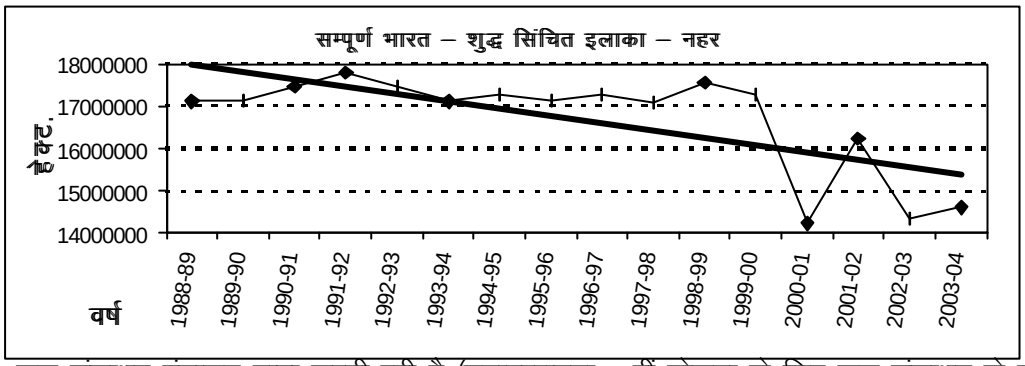

इस अवधि में, जल संसाधन मंत्रालय दावा करती रही है (उदाहरणतया 11वीं योजना के लिए जल संसाधन के कार्य समूह की रिपोर्ट) कि उसने 84.54 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की है एवं 62.97 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग होना संभव बनाया है, लेकिन जमीनी आंकड़े इन दावों पर सवाल खड़ा करते हैं। जल संसाधन मंत्रालय इन दावों को बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में ज्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करती रही है। उदाहरण के तौर पर, जल संसाधन मंत्रालय ने 11वीं योजना में प्रस्ताव किया है कि बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए रुपये 165900 करोड़ का आबंटन किया जाय। उपलब्ध तथ्य दिखाते हैं कि यह सार्वजनिक धन की पूरी तरह बर्बादी होगी।

सन 1990–91 से 2003–04 तक शुद्ध सिंचित इलाकों के विस्तृत आंकड़े निम्न सारिणी में दिये गये हैं :

शुद्ध सिंचित इलाके (हे.)

	नहर	नलकूप	अन्य कूप	कुल भूजल	तालाब	अन्य स्रोत	कुल
1990–91	17453000	14257000	10437000	24694000	2944000	2932000	**48023000**
1991–92	17791000	15168000	10869000	26037000	2991000	3048000	**49867000**
1992–93	17457000	15814000	10569000	26380300	2854000	3599000	**50293000**
1993–94	17111000	16376000	11386000	27762000	3152000	3427000	**51452000**
1994–95	17280000	17190000	11722000	28912000	3276000	3533000	**53001000**
1995–96	17142000	17937000	11860000	29797000	3111000	3460000	**53510000**
1996–97	17262000	18410000	12408000	30818000	3343000	3626000	**55049000**
1997–98	17092000	18432000	12448000	30880000	3100000	3491000	**54563000**
1998–99	17554697	20627894	13050073	33677967	2944266	3266846	**57443776**
1999–00	17278592	20842969	13036710	33879679	2686183	2857897	**56564414**
2000–01	14229380	21394279	10855953	32250232	2490856	2769566	**51740034**
2001–02	16240609	25161523	9818183	34979706	2349073	2594310	**56163698**
2002–03	14347064	18035551	8729653	33765204	2340000•	2532891	**52985159**
2003–04	14605419	25676525	9513092	35189617	2440000•	2707024	**54942060**

• : अन्य आंकड़ों पर आधारित अनुमान

स्रोत : 1. केन्द्रीय जल आयोग के इयर बुक, विभिन्न वर्षों के। 2. कृषि मंत्रालय, कृषि के आंकड़े, विभिन्न वर्षों के। 3. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट, http://agricoop.nic.in/Agristatistics.htm

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि समस्त स्रोतों से शुद्ध सिंचित इलाका 1990–91 में 480.2 लाख हेक्टेयर था और बढ़कर 1998–99 में 574.4 लाख हेक्टेयर हुआ है एवं उसके बाद 570 लाख हेक्टेयर से कम रहा है, निम्न ग्राफ देखें।

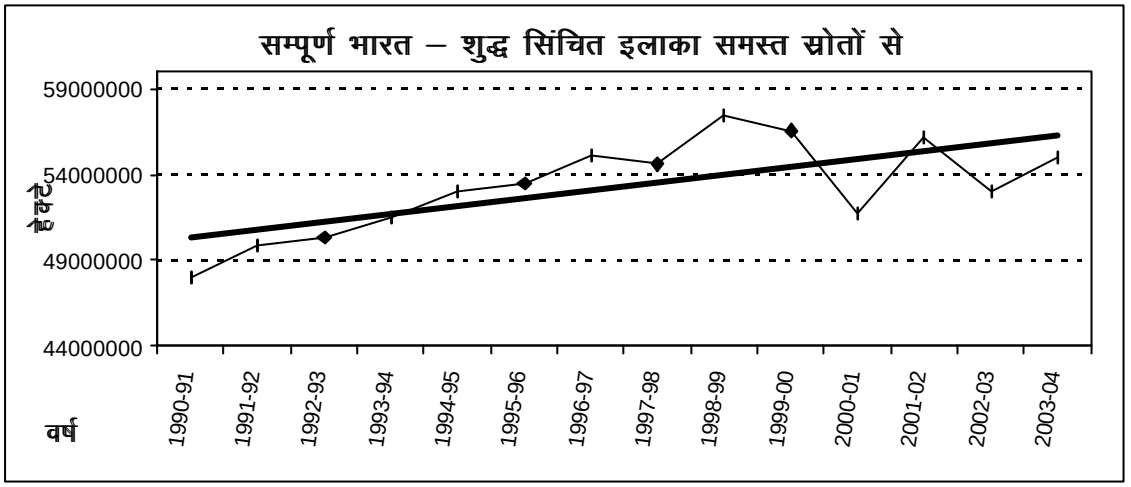

इसी तरह समस्त स्रोतों से सकल सिंचित इलाके (यदि किसी जमीन में साल में दो सिंचित फसल होती है, तो सकल सिंचित इलाके के आकलन के लिए इसे दो बार गिना जाता है, लेकिन शुद्ध सिंचित इलाके में एक बार गिना जाता है) में इस अवधि में बढ़ोतरी होती रही है, जैसा कि निम्न ग्राफ में दिखाया गया है।

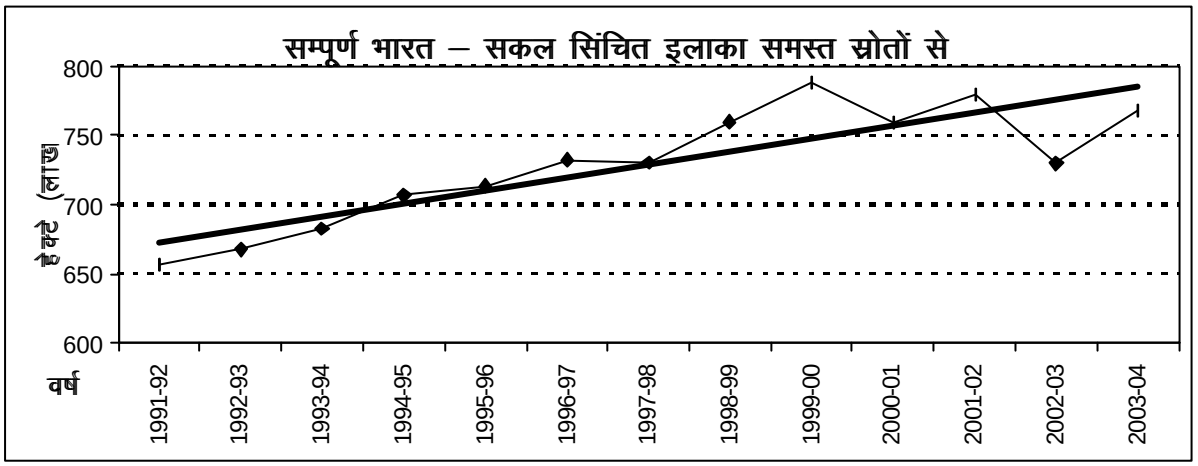

पूरे भारत के शुद्ध एवं सकल सिंचित इलाके में यह बढ़ोतरी इसलिए संभव हुई है क्योंकि भूजल सिंचित इलाका सन 1990–91 के 246.9 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2003–04 में 351.9 लाख हेक्टेयर हो गया है, नीचे ग्राफ देखें। वास्तव में भूजल सिंचित इलाके में बढ़ोतरी ने जल संसाधन मंत्रालय को बड़े बांधो के खराब प्रदर्शन की सच्चाई को दबाने में मदद की है।

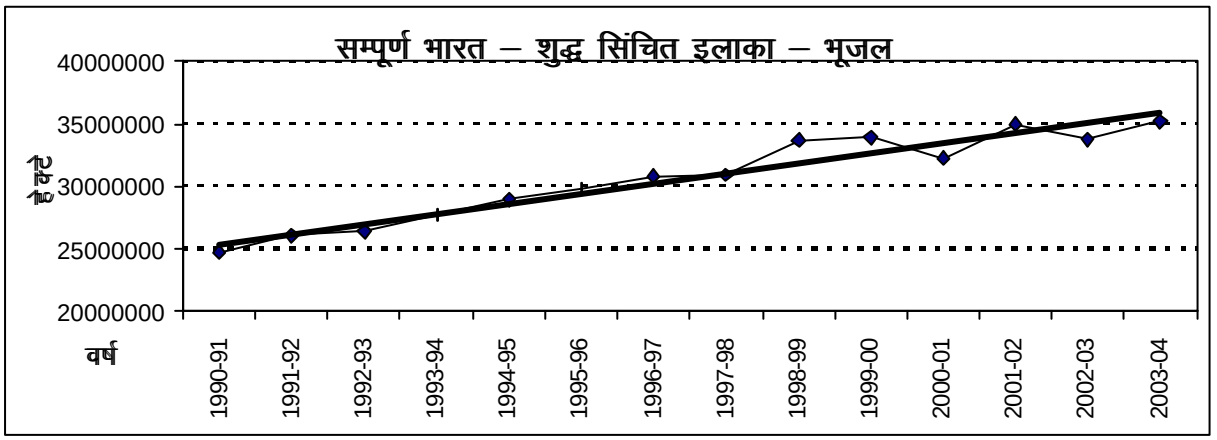

कुछ चुनिंदा बड़े राज्यों जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें आकलन किये गये वर्षों में नहरों ,द्वारा सकल (एवं शुद्ध) सिंचित इलाकों के आंकड़े भी इस प्रवृत्ति को दिखाते हैं, जिनके ग्राफ अगले पृष्ठ में दिये गये हैं। ये ग्राफ दिखाते हैं कि नहरों द्वारा सकल सिंचित इलाके में भी घट रहे हैं, हांलाकि हमारे पास नहरों द्वारा सकल सिंचित इलाकों के सम्पूर्ण भारत के आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

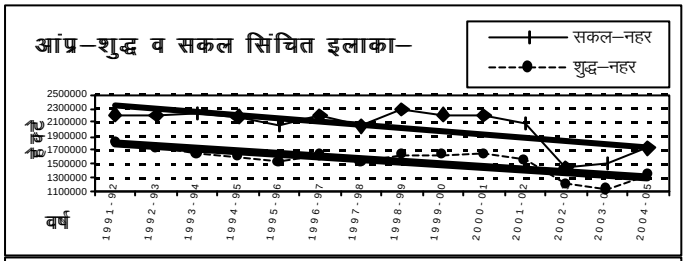

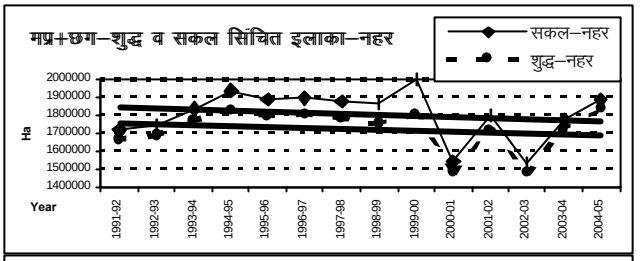

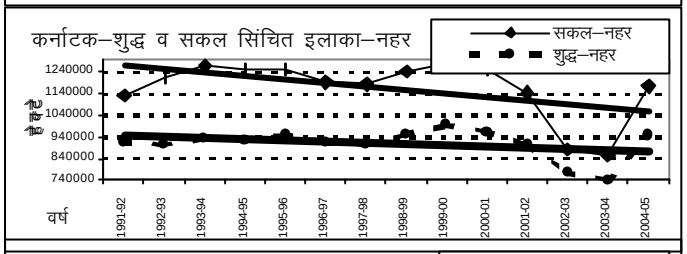

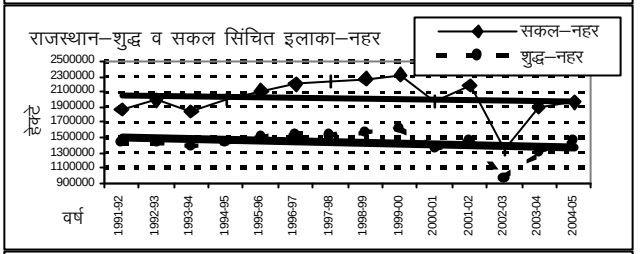

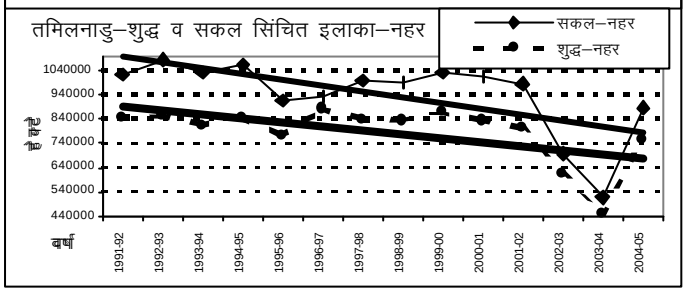

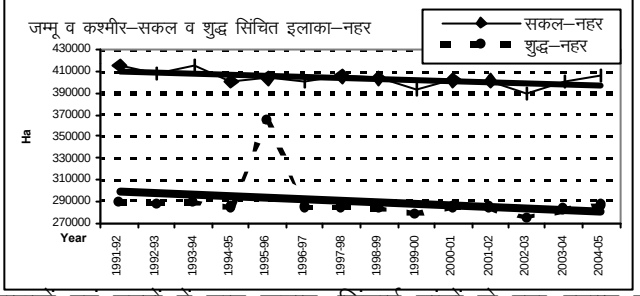

ऐसा क्यों हो रहा है? इस परिस्थिति के कुछ वजहों में शामिल हैं : जलाशयों एवं नहरों में गाद जमाव, सिंचाई ढांचों के रख–रखाव का अभाव, नहरों के प्रारम्भिक क्षेत्रों में ज्यादा पानी वाले फसलों की अधिकता व नहरों का न बनना एवं एक नदीघाटी में ज्यादा परियोजनाओं का विकास (वहन क्षमता से ज्यादा), जल जमाव एवं भूमि में क्षारीयता कुछ अन्य वजह हैं। कुछ मामलों में, नयी परियोजनाओं द्वारा जोड़े गये अतिरिक्त इलाके कुल इलाकों में बढ़ोतरी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पुराने परियोजनाओं से (उपरोक्त वजहों से) सिंचित इलाकों में कमी आ रही है। वास्तव में विश्व बैंक के 2005 की रिपोर्ट इंडियाज वाटर इकॉनामी : ब्रैसिंग फॉर ए ट्रबुलेंट फ्यूचर यह दिखाती है कि भारत के सिंचाई ढांचों (जो कि विश्व में सबसे बड़ी है) के रख–रखाव के लिए सालाना वित्तीय आवश्यकता रु. 17000 करोड़ की है, लेकिन इसकी 10 प्रतिशत से भी कम राशि उपलब्ध होती है एवं इनमें से ज्यादातर ढांचों के भौतिक रख–रखाव में इस्तेमाल नहीं होते हैं।

ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण हैं इस निष्कर्ष के गंभीर प्रभाव हुए हैं। पहली बात, यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि देश में प्रति वर्ष बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय होने वाले हजारों करोड़ की राशि से कोई अतिरिक्त सिंचित इलाका विकसित नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सिंचित इलाके में वास्तविक बढ़ोतरी पूरी तरह भूजल सिंचाई से हो रही है एवं भूजल सिंचित कृषि की जीवनरेखा है। तीसरी बात, वास्तव में रुपये 99610 करोड़ के अफलदायी निवेश द्वारा सिंचाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होना पिछले दशक में भारत की घटती कृषि विकास दर का करण हो सकता है। चौथी बात, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में अप्रैल 1996 से मार्च 2004 तक व्यय किये गये रुपये 14669 करोड़ से कोई अतिरिक्त सिंचित इलाका नहीं जुड़ा है। इस तरह जल संसाधन मंत्रालय का यह दावा कि उपरोक्त अवधि में एआईबीपी से 26.60 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित इलाका जुड़ा है, सही नहीं है। अंततः, इससे जवाबदेही के कई मुद्दे उठते हैं एवं इसके लिए जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग एवं राज्यों में जो जिम्मेदार हैं उन्हें ढेर सारे सवालों का जवाब देना होगा।

यह आंकड़े संकेत देते हैं कि नये बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में धन व्यय करने के बजाय यदि मौजूदा ढाचों के उचित रख–रखाव, जलाश्यों के गाद में कमी करने के उपायों एवं साथ ही वर्षाजनित इलाकों में ध्यान देने में धन खर्च करते हैं तो देश को ज्यादा लाभ होगा। भूजल के मामले में, हमें मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्था के संरक्षण करने एवं उन्हें बढ़ावा देने को सबसे पहली वरीयता देनी चाहिए। निर्माणाधीन बड़ी व मध्यम सिंचाई व्यवस्थाओं में अव्यवहार्य निवेश को निकाल बाहर करने की आवश्यकता है ताकि उपयोगी धन (जो कि अब तक व्यय नहीं हुआ है) अनुपयोगी कार्यो में बर्बाद (अव्यवहार्य परियोजनाओं में व्यय हुए) न हो। कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में, परियोजनाओं के भावी निवेश व असरों को कम करने के लिए उनकी समीक्षा करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है। अब जबकि योजना आयोग 11वी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप दे रही है, उसके पास स्वर्णिम अवसर हैं कि जल संसाधन विकास में मूलभूत बदलाव करे। यदि हम इस अवसर से चूक जाते हैं तो, हमारे द्वारा बढ़ावा दिये गये गलत प्राथमिकताओं एवं वैश्विक उष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) के संयुक्त असर के परिणामस्वरूप हमारे पास न तो लोगों या अर्थव्यवस्था के लिए पानी मौजूद होगा और न तो मौजूदा लाभों को कायम रखने व रख–रखाव के लिए धन मौजूद होगा, जैसा कि विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर कहा है।

हिमांशु ठक्कर (ht.sandrp@gmail.com) **फोन : 27484655 / 9968242798**
बांधो, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (www.sandrp.in)